राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2817/2025

चन्द्रकला धाबाई **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. अधीक्षक, बौद्धिक दिव्यांग गृह, बालिका विंग, जामडोली, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.05.2025

आदेश की दिनांक : 06.06.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री रामप्रताप सैनी/श्री गिरिराज राजोरिया, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 30.04.2025 के द्वारा उसे राजस्थान मानसिंह विमंदित महिला एवं बाल विकास कल्याण पुर्नवास गृह, जामडोली, जयपुर से कार्यमुक्त किया गया है और उसे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सालय, करौली कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एएनएम के पद पर हुई थी। उनका तर्क है कि अनेको शिकायत होने के कारण अपीलार्थी के विरूद्ध आलोच्य आदेश जारी किया गया। अपीलार्थी ने इस मामले के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसके पति की दुर्घटना का भी उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी की सास 85 वर्ष की वृद्ध

महिला है, जो बीमार रहती है। जिनका निरंतर उपचार चल रहा है, उनकी देखभाल हेतु परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। इसके उपरांत भी अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.04.2025 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को उसी वर्तमान स्थान पर अथवा जयपुर शहर में किसी रिक्त पद पर पदस्थापन का आदेश फरमाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में विचार करते हुए एवं अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों को ध्यान में रखते हुये आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें।

अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य